न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 214/2016/223 आरटीए

महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी बिजारिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।
2. मदनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बिजारियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मोहनलाल पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बिजारियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. मीरां देवी पत्नि पृथ्वीराज जाति जाट निवासी बिजारियावाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.03.2016 न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 03/2011 अनवानी महावीर बनाम स्टेट

उपस्थित :–
श्री अनिल कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–08.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय कतई गलत व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है। प्रश्नगत भूमि चक 1 एडब्ल्यूएसएम प.न. 136/336 जो कि अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजो को पूर्व 1955 की भूमि है जो दिनांक 07.07.1972 को आवंटन बतौर पूर्व 55 पुख्ता आवंटन हुई थी जिसका वादीगण के पिता ख्यालीराम पुत्र बस्तीराम जाट ने निर्धारित राजकीय शुल्क अदा कर दिनांक 2.5.1984 को खातेदारी प्राप्त हुई जिस क्रम मे अपीलांट को प्रश्नगत भूमि चक 1डब्ल्यूएसएम के प.न. 136/336 के कि.न. 1 ता 25 कुल रकबा 24.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रश्नगत भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 का रकबा भी 0.253 है0 प्रत्येक दर्ज है किसी प्रकार का कोई रिकार्ड मे रास्ता अंकन नही किन्तु इसके बावजूद पर्चा खतौनी सन् 1971 मे प्रविष्टिया दर्ज करते समय वादी के चक 1

एडब्ल्यूएसएम के प.न. 136/336 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 0.25 है0 भूमि रास्ता कर दिया जो कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ता 4 की खातेदारी भूमि है जिसको रिकार्ड मे खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्य की अनदेखी कर कानूनन भूल की है।

4. रेस्पो0/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के कथन कि वादी ने प्रश्नगत भूमि मे रास्ता अंकन की प्रविष्टियों को हटाने के लिए अन्तर्गत धारा 88 आरटीए का वाद प्रस्तुत किया, को आधार मानते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जो कि खारिज योग्य है। क्योंकि वादी के पास अपनी खातेदारी भूमि मे गलत प्रविष्टियों का अंकन को हटाने के लिए वाद घोषणात्मक विधिक है जो विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट के रकबा मे प्रश्नगत रास्ता कालांतर मे भी चालू नही था और ना ही वर्तमान मे चालू है। अपीलांट के प्रश्नगत भूमि मे पर्चा खतौनी सम्वत 1971 मे गलत प्रविष्टियां दर्ज हो गई जबकि उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिसमे वर्तमान मे कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। रेस्पो0 का जवाब मे वर्णित कथन कि रास्ता एक सार्वजनिक आवश्यकता है, जिसके मध्यनजर रखते हुए रास्ता अंकन किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 जो कि लैण्ड होल्डर है, से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी जानी आवश्यक थी ताकि रास्ता के चालू होने या न होने की वादी की कब्जा काश्त की वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जा काश्त की वस्तुस्थिति ज्ञात किए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपील मे रिपोर्ट मौका कमिश्नर प्राप्त हो गई जिसके अनुसार भी मौका पर किसी प्रकार रास्ता चालू नही है और ना ही रास्ता संबंधी कोई अलामात पाये गये है और ना ही पूर्व मे रास्ता चालू प्रतीत हो रहा है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र कथन करते हुए निवेदन किया अपील ज्ञान अपीलांट से अन्दर मियाद मानी जाकर डिले कन्डोन की जाकर अन्दर मियाद मानी जावे अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि रास्ता का अंकन अगर गलत किया गया है तो सन् 1971 मे किये गये अंकन को निर्धारित अवधि मे आपत्ति प्रगट की जानी चाहिये थी। विभाग द्वारा यह गलत रास्ता मंजूर क्यों किया गया इस तथ्य को साबित किये जाने के लिये तत्कालीन पूर्व अभिलेख अपीलांट को प्रस्तुत करना चाहिये। यहां इस तथ्य पर गौर किया जाना चाहिए कि तत्कालीन समय मे यह रास्ता किन सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिये स्वीकृत किया गया। एक या दो काश्तकार के हित न देखते हुए समस्त

निवासीयान के पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। भविष्य मे एवं वर्तमान मे इसका उपयोग हो सकता है एवं रास्ता काश्त होने का कोई साक्ष्य राजस्व अभिलेख मे साक्ष्य नही है यथा धारा 22 की कार्यवाही आदि। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के 8 (2) के तहत रास्ता खाला मंजूर व खारिज होता है एवं भूमि का आवंटन भी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत होता है। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा प्रस्तुत नही किया जा सकता है। यह वाद उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिये न कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलांट का वाद खारिज किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आवंटित खातेदारी भूमि मे हुये रास्ता के गलत अंकन को हटाने का वाद प्रस्तुत कर घोषणा का अनुतोष चाहा गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय यह उल्लेखित करते हुए वाद अपीलांट/वादी कर दिया कि रास्ता का अंकन सन् 1971 मे होने के कारण तथा अब इस रास्ता अकन को राजस्व रिकार्ड से हटाने का कोई सक्षम आधार वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किये जाने एवं रास्ता काश्त होने का साक्ष्य राजस्व अभिलेख मे नही होने के कारण वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य है। जबकि अपीलांट का कथन है कि चक 1 एडब्ल्यूएसएम प.न. 136/336 की अपीलांट व रेस्पो0 के पूर्वजो को पूर्व 1955 की भूमि है जो दिनांक 07.07.1972 को आवंटन बतौर पूर्व 55 पुख्ता आवंटन हुई थी जिसका वादीगण के पिता ख्यालीराम पुत्र बस्तीराम जाट ने निर्धारित राजकीय शुल्क अदा कर दिनांक 2.5.1984 को खातेदारी प्राप्त हुई जिस क्रम मे अपीलांट को प्रश्नगत भूमि चक 1डब्ल्यूएसएम के प.न. 136/336 के कि.न. 1 ता 25 कुल रकबा 24.10 बीघा भूमि आवंटन हुई थी। प्रश्नगत भूमि के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 का रकबा भी 0.253 है0 प्रत्येक दर्ज है किसी प्रकार का कोई रिकार्ड मे रास्ता अंकन नही किन्तु इसके बावजूद पर्चा खतौनी सन् 1971 मे प्रविष्टिया दर्ज करते समय वादी के चक 1 एडब्ल्यूएसएम के प.न. 136/336 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 0.25 है0 भूमि रास्ता कर दिया।

7. प्रकरण मे मौका कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट कमीश्नर प्राप्त की गई जिसके अनुसार प.न. 136/336 मु.न. 32 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 की पश्चिमी दिशा मे उतर

से दक्षिण 2 बिस्वा घरेलू आड़ चालू है व कि.न. 21 के पश्चिम दक्षिणी कोना पर पक्का नक्का निर्मित है जिसमे पानी की पाईप लगी हुई है जिसका मौका मुआवना अनुसार उक्त नक्का काफी अर्सा पूर्व निर्मित किया हुआ है व कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे मौका पर फसल काश्त की हुई है। मौका पर कोई रास्ता चालू नही है ना ही पूर्व मे रास्ता चालू होना प्रतीत हो रहा है। उक्त प्रश्नगत भूमि की पश्चिमी दिशा मे काश्तकार जैलदार आदि की भूमि पड़ती है व पूर्वी ओर बृजलाल की भूमि पड़ती है व पूर्वी दिशा मे चक 18 एनडीआर की सीमा की भूमि पड़ती है व इसी पर उक्त भूमि के प.न. 136/336 के कि.न. 21 ता 25 मे पूर्व मे पश्चिम दक्षिणी दिशा की ओर आम रास्ता है जो गांव बिजारियावाली ढाणी से खेतो को जाता है। प्रश्नगत भूमि मे ऐसा प्रतीत नही होता कि कभी रास्ता चालू रहा हो। उपरोक्त परिस्थितियों मे यह स्पष्ट है कि अपीलांट की भूमि मे प्रश्नगत रास्ता कभी चालू नही रहा है और ना ही मौका पर चालू है तथा यह साबित है कि अपीलांट को चक 1 एडब्ल्यूएसएम मे कुल 24.10 बीघा भूमि पुख्ता आवंटित हुई थी जिसमे किसी प्रकार के रास्ता का अंकन नही है। इस प्रकार प्रस्तुत मौका कमीश्नर रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर तहसीलदार से प्रकरण संबंधी रिपोर्ट ली जाकर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.03.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार विवादित भूमि हेतु राजस्व अभिलेख संबंधी तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ